



जनपद हमीरपुर

प्रेसनोट- थाना कोतवाली नगर

दिनांक 11.04.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं एस0ओ0जी टीम के संयुक्त प्रयास से मु0अ0स0 66/2026 धारा 318(4)/319/338/336(3)/340(2) भारतीय न्याय संहिता व 207 एम0 वी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.04.2026 को थाना कोतवाली नगर हमीरपुर पुलिस द्वारा वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 66/2026 धारा 318(4)/319 भारतीय न्याय संहिता बनाम अज्ञात के विरुद्ध बेइमानी से 50,000 रुपये की धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 66/2026 धारा 318(4)/319 भारतीय न्याय संहिता की घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त पप्पू खां पुत्र गुलाब खां (उम्र करीब 44 वर्ष) निवासी ग्राम बिगहना, थाना बिवांर, जनपद हमीरपुर को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भोला के डेरा के पास ट्यूबवेल वाली सड़क से एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर व 49,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 व मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 की बढ़ोतरी कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

पप्पू खां पुत्र गुलाब खां (उम्र करीब 44 वर्ष) निवासी बिगहना, थाना बिवांर, जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण

01 अदद मोटरसाइकिल स्पलेंडर व 49,000 रुपये बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

पप्पू खां पुत्र गुलाब खां

1.मु0अ0स0 66/2026 धारा 318(4)/319/338/336(3)/340(2) बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम।

गिरफ्तारी का स्थान

भोला के डेरा के पास ट्यूबवेल वाली सड़क थाना कोतवाली नगर, हमीरपुर।

पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 सुरेन्द्र पाल
- 2.उ0नि0 नवीन त्रिपाठी

3. हे०का० बबलेश कुमार

4. का० विमल पाल

एस०ओ०जी० टीम

1. उ०नि० सचिन शर्मा (एसओजी प्रभारी)

2. का० अतुल कुमार (एसओजी)

3. का० शक्ति सिंह (एसओजी)

4. का० सुरेन्द्र मिश्रा (एसओजी)

